रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2013/फाल्गुन 1, 1934
No. 55] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2013/PHALGUNA 1, 1934

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2013

सं. 11-134/2012-यूनानी (न्यूनतम मानक).— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खण्ड (त्र) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारत सरकार की पूर्व अनुमति से निम्न विनियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:—

(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकंताएं) विनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:—

(1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है।

(ख) 'कॉलेज' से यूनानी महाविद्यालय या संस्थान जिसमें यूनानी का स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है या प्रस्तावित है, अभिप्रेत है।

(ग) 'संलग्न अस्पताल' से यूनानी महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण यूनानी अस्पताल अभिप्रेत है।

(2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

694 GI/2013

3. न्यूनतम मानक आवश्यकताएं:–

(1) अधिनियम की धारा 13 क के अधीन स्थापित यूनानी कॉलेज एवं धारा 13ग के अधीन वर्तमान यूनानी कॉलेज एवं उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक पूरा करेंगे।

(2) यदि कॉलेज 31 दिसम्बर, 2014 तक इन अधिसूचित विनियमों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, उसे प्रवेश करने हेतु पांच वर्ष की अवधि से अधिक अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसके लिए आकस्मिक जांच जो किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, के अतिरिक्त या जब तक केन्द्र सरकार या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आवश्यक नहीं समझा जाए, कालेज का निरीक्षण नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय परिषद् अनुमति समाप्त होने की अवधि से तीन माह पूर्व कॉलेज का परिदर्शन करेगी।

(3) सशर्त अनुमति केवल उन्हीं कॉलेजों को दी जायेगी जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का 15 मई, 2013 के पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2013–14 और 31 दिसम्बर, 2013 के पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2014–15 हेतु अलग से किए गए निरीक्षण के आधार पर कम से कम अनुसूची V में उल्लिखित शिक्षकों की आवश्यकता को, विनियम 7 के उपविनियम (2) में उल्लिखित कियाशील अस्पताल का एवं अनुसूची–VII में उल्लिखित उपकरण की उपलब्धता को पूरा करते हैं, ऐसे सशर्त अनुमति प्राप्त कॉलेजों को या उन कालेजों को जिन्हें अनुमति से इन्कार कर दिया गया, शैक्षणिक वर्ष 2013–14 और/या 2014–15 हेतु, 31 दिसम्बर, 2014 तक विनियमों में उल्लिखित वांछित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। शैक्षिक वर्ष 2013–14 हेतु वर्तमान यूनानी कॉलेजों में अनुसूची II में यथा अनुबंधित 7 से 14 शिक्षण विभागों की बढ़ोत्तरी वैकल्पिक है परंतु शैक्षिक वर्ष 2014–15 से अनिवार्य होगी।

(4) समस्त विद्यमान कॉलेज, जो विनियमों में उल्लिखित आवश्यकताओं को 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2015–16 से आगे अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसे कॉलेजों के आवेदन, धारा 13क एवं 13ग के अधीन रद्द किये जायेंगे एवं अलग से अधिनियम की धारा 21 के अनुसार उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। जो कि सशर्त अनुमति अथवा अस्वीकृति के संबंध में विचाराधीन रहे हैं।

4. भूमि की आवश्यकता:– इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारिक संरचना के निर्मित भवन कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो। 61 से 100 सीटों की प्रवेश की क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नहीं हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो। प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा। कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात(एम.ए.आर.) या फ़्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा। केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची–1 एवं अनुसूची–II के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में निर्मित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए। भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या न्यूनतम 99 वर्ष की अवधि के लिए कॉलेज के नाम पर पट्टे पर होनी चाहिए अथवा

सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य के नियमों–विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए तथापि अनुमति का नवीकरण पट्टे की समाप्ति पर आवश्यक होगा। भूमि का विस्तार तथा स्वामित्व 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कॉलेजो के लिए लागू नहीं है परन्तु सक्रिय पट्टे की अवधि के अंत में ऐसे कॉलेजों को या तो अपनी निजी भूमि रखनी होगी या फिर इसे पट्टे पर न्यूनतम 99 वर्ष की अवधि के लिए अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य के नियमों–विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर प्राप्त करना होगा।

स्पष्टीकरण– तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) या फ़्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) उस स्थान की भूमि के आकार के लिए इमारतों की कुल तल क्षेत्र अनुपात है या इस तरह के एक अनुपात पर लगायी सीमा है।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता:–

(1) साठ छात्रों तक की भर्ती हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं संलग्न निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्ग मीटर होगा और इकसठ से एक सौ छात्रों तक चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र क्रमशः कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल के लिए होगा। अनुसूची–I एवं अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों का निर्माण अलग–अलग किया जाना चाहिए। कॉलेज एवं अस्पताल के अलग–अलग भवन की आवश्यकता इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के बाद स्थापित हाने वाले कॉलेजों पर लागू होगी।

(2) कॉलेज को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारिक संरचनाएं जैसे कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी–स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा। वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची–III में विहित अनुसार होना चाहिए।

6. प्रवेश क्षमता:– स्नातक पाठ्यक्रम की वार्षिक प्रवेश क्षमता साठ एवं एक सौ के स्तर में होगी। यदि किसी भी कॉलेज में साठ से कम या इकसठ और एक सौ सीटों की प्रवेश क्षमता है, उसे अनुसूची–I से अनुसूची–VII तक में वर्णित क्रमशः साठ एवं एक सौ सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7. शिक्षण अस्पताल की आवश्यकताएं:–

(1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने और संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।

(2) **शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति:–** स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, अंतरंग रोगी विभाग का शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति क्रमशः 1:1, 40 प्रतिशत एवं 1:2, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है, के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं के बीच की दूरी डेढ (1½) मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

तालिका–I

प्रवेश क्षमता प्रति वर्ष	अन्तरंग रोगी विभाग में 1:1 छात्र शय्या अनुपात पर न्यूनतम शय्याओं की संख्या	गत एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान अन्तरंग रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (365 दिन) (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग)	गत एक केलैण्डर वर्ष के दौरान बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (300 दिन) (1:2 छात्र–रोगी अनुपात)
60 छात्र	60 शय्या	24	120
61 से 100 छात्र	100 शय्या	40	200

(3) **बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का रखरखाव:–** कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा तथा कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, प्रयोगशाला और रेडियोलोजीकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, अंतरंग रोगी विभाग के रोगियों की आहार पंजिका, अस्पताल कर्मचारीवृन्द की डयूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि विनियम के उप–विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं यूनानी अस्पताल के भी कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।

(4) **स्थान आवश्यकता:–** पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल को बहिरंग एवं अंतरंग विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, औषधि कक्ष; मरहम पट्टी कक्ष, नैदानिक प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, इलाज बित तदबीर चिकित्सा अनुभाग, शल्य कक्ष, प्रसव कक्ष, भण्डार, स्त्री एवं पुरूष अलग–अलग वार्ड, चिकित्सकों, नर्सो एवं अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष के समावेश हेतु उपयुक्त क्षेत्र युक्त होना चाहिए तथा संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची–I के अनुसार होगी।

(5) **बाह्य रोगी विभाग:–** अस्पताल में न्यूनतम निम्न 6 बाह्य रोगी विभाग होगें:–

(i) मुआलाजात (मेडीसिन)
(ii) जराहत एवं ऐन–उज़्न–अन्फ–हलक व असनान (शल्य एवं नेत्र, आंख, कान, नाक हलक और दंत चिकित्सा सम्मिलित है)
(iii) क़बालत वा अमराज–ए–निस्वां (ओ.बी.जी)
(iv) अमराज़–ए–अतफ़ाल (बालरोग)
(v) अमराज़–ए–जिल्द व ताज़ीनियत (त्वचा एवं कास्मेटोकॉलोजी)
(vi) तहफ्फुज़ी वा सामाजी तिब्ब (समुदाय चिकित्सा)

टिप्पणी :– उपरोक्त के अतिरिक्त इलाज बिद तदबीर का एक अलग विभाग होगा।

(6) **अन्तरंग रोगी विभाग:**—अन्तरंग रोगी विभाग में पुरूष एवं स्त्री वार्ड अलग होगें और शय्या वितरण निम्न प्रकार होगा:—

अन्तरंग विभाग	वितरण	60 शय्या	100 शय्या
मुआलाजात इलाज बिद तदबीर, अमराज़—ए—ज़िल्द वा तज़ीनियत को सम्मिलित करते हुए	50% शय्या	30	50
जराहत ऐन, उज़्न, अन्फ हलक व असनान को सम्मिलित करते हुए	25% शय्या	15	25
कबालत वा अमराज़ए—निस्वां अतफाल को सम्मिलित करते हुए	25% शय्या	15	25

(7) **तशखीस अमराज़ (क्लिनिकल रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला):** अस्पताल के बाह्यरोगी एवं अंतः रोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं यूनानी नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची—I, अनुसूची—IV, अनुसूची—V, अनुसूची—VII में यथा विनिर्दिष्ट उचित आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी।

(8) **अस्पताल के कर्मचारी:** साठ शय्याओं वाले अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टॉफ की आवश्यकता अनुसूची—IV के अनुसार होगी एवं शय्याओं के बढ़ाने के अनुपात में स्टॉफ की बढ़ोतरी भी करनी होगी।

8. **कॉलेज के लिए आवश्यकताएं—**

(1) **शिक्षण स्टॉफ:** अनुसूची—V में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्लैब हेतु मार्डन मेडीसिन (आधुनिक चिकित्सा) के आठ अंश कालिक शिक्षकों के अतिरिक्त साठ छात्रों तक की प्रवेश क्षमता हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम तीस पूर्णकालिक शिक्षक तथा इकसठ से सौ तक की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम पैंतालिस पूर्णकालिक शिक्षक होंगे।

(2) **शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु:** शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उस विशिष्ट संस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले से लागू मानकों के अनुसार होगी तथा शिक्षकों की पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु तक पुर्ननियुक्त किया जा सकता है।

(3) **तकनीकी एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता:** महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ अनुसूची—VI में दिये गये विवरणानुसार होगा।

9. **विविध आवश्यकताएं—**

(1) **कार्यालय सहायता:** अधिष्ठाता, चिकित्सा अधीक्षक तथा प्रत्येक विभाग को स्वतंत्र कम्प्यूटर एवं प्रिंटर सुविधा प्राप्त होगी।

(2) **कॉलेज परिषद्: (क)** प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक कॉलेज परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में तथा प्राचार्य या अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में समाविष्ट हों। **(ख)** पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार परिषद् की बैठक की जायेगी। **(ग)** परिषद्

द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ–साथ अन्तरविभागीय बैठकें जेसै मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठके तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेंगी।

(3) **कॉलेज की वेबसाईट:** प्रत्येक कॉलेज अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा

(क) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष या मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा स्टेट ट्रंक डायलिंग (एस.टी.डी.) कोड, फैक्स तथा ई–मेल इत्यादि हों।

(ख) फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव, विभाग इत्यादि के साथ शिक्षण स्टॉफ का विवरण।

(ग) कॉलेज का गैर शिक्षण स्टॉफ तथा चिकित्सालय स्टॉफ का विवरण विभाग सहित।

(घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्कमों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का विवरण।

(ड़) चालू एव गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता के आधार पर एवं श्रेणी (स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर) के आधार पर सूची।

(च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।

(छ) संस्था द्वारा आयोजित सतत किसी चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।

(ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।

(झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।

(ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।

(ट) सभी पाठ्यकमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति एवं

(ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।

(4) **बॉयोमेट्रिक उपस्थिति:** शिक्षण, गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेबकैमरा सहित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति पद्धति पर आधारित बॉयोमेट्रिक उपस्थिति रखना वांछनीय है।

10. **नए कॉलेज की चरण वार विशिष्ट आवश्यकताएं –**

(1) अधिनियम की धारा 13 क के प्रावधान के अन्तर्गत कामिले–तिब्ब–ओ–जराहत (बेचलर ऑफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यकम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले यूनानी कॉलेज को इस विनियम के उप–विनियम (2) से (5) में दिये गये चरणवार तरीके से आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को स्थापित करना होगा।

(2) कॉलेज छात्रों के प्रथम बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा–

(क) आवेदन प्रस्तुत करते समय, कॉलेज के पास विनियम सात के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक वर्ष से कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय सहित एक भवन उसी भूमि पर ही होना चाहिए;

(ख) प्रथम व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम आठ में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए;

(ग) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मुआलाजात, इलाज बिद तदबीर, जराहत, ऐन उज़्न अन्फ वा हलक, अमराज़ ए निस्वां वो इल्मुल कबालत तथा अमराज़–ए–अतफाल में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक नियुक्त होना चाहिए।

(घ) दो हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों तक 50 व्यक्तियों तथा इकसठ से एक सौ प्रवेशों के लिए अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो तथा पर्याप्त स्टाफ हों;

(ड़) प्रथम व्यवसायिक सत्र के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होगें।

(च) साठ सीट की प्रवेश क्षमता के लिए तथा इकसठ से एक सौ सीट की प्रवेश क्षमता के लिए क्रमशः दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि तथा चार हजार वर्गमीटर भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान जिसमें कम से कम पचास प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।

(छ) मानकों के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टॉफ का पचास प्रतिशत।

(3) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व कॉलेज का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा–

(क) प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम आठ में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए तथा प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।

(ख) कॉलेज के चिकित्सालय में कार्य करने हेतु मुआलाजात, इलाज बिद तदबीर, जराहत, ऐन–उज़्न–अन्फ वा हलक, अमराज़–ए–निस्वां वो इल्मुल कबालत तथा अमराज़–ए–अतफाल विभागों में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।

(ग) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों तक के लिए पचास व्यक्तियों तथा इकसठ से एक सौ की प्रवेश क्षमता के लिए अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो;

(घ) प्रथम तथा द्वितीय व्यवसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे;

(ड़) पिछत्तर प्रजातियों के औषधीय पौधों से युक्त औषधीय उद्यान।

(च) अस्पताल, कॉलेज तथा प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण औषधशाला के लिए पूर्णतः विकसित भवन;

(छ) महाविद्यालय के पास विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय का भवन होना चाहिये।

(ज) मानकों के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टॉफ का पिछत्तर प्रतिशत।

(झ) सैदला विभाग से जुड़ी शिक्षण औषधि निर्माण शाला एवं गुणवत्ता मापक प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठयक्रम के अनुसार औषधि तैयार करने हेतु अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र तथा अनुसूची–VII के अनुसार उपकरण होंगे।

(4) छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व महाविद्यालय का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय महाविद्यालय निम्नलिखित को रखेगा–

(क) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम आठ में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।

(ख) कॉलेज के चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मुआलाजात, इलाज बिद तदबीर, जराहत, ऐन–उज़्न–अन्फ वा हलक, अमराज़–ए–निस्वां एवं इल्मुल कबालत तथा अमराज़–ए–अतफाल विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक शिक्षक।

(ग) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों के लिए पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा इक्सठ से सौ प्रवेशों तक के लिए अस्सी छात्रों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टॉफ हों;

(घ) प्रथम तथा द्वितीय व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।

(ड़) एक सौ प्रजातियों के औषधीय पौधों से युक्त औषधीय उद्यान ।

(च) अस्पताल, कॉलेज, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण औषधशाला के लिए पूर्णतः विकसित भवन।

(छ) महाविद्यालय के पास विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय का भवन होना चाहिये।

(ज) मानकों के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टॉफ का पिछत्तर प्रतिशत एवं

(झ) सैदला विभाग से जुड़ी शिक्षण औषधि निर्माण शाला (सैदला) एवं गुणवत्ता मापक प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठयक्रम के अनुसार औषधि तैयार करने हेतु अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र तथा अनुसूची–VII के अनुसार उपकरण होंगे।

(5) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व, कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम आठ में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।

(ख) विशिष्ट मानकों के अनुसार कॉलेज, चिकित्सालय तथा अन्य इकाईयों की सम्पूर्ण आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति की अपेक्षाएं।

(ग) सात हजार पांच सौ पुस्तकों का पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों तक के लिए पचास व्यक्तियों तथा इकसठ से सौ तक प्रवेशों हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टाफ हो।

(घ) महाविद्यालय के पास विनियम सात के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शैय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक यूनानी चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय का भवन होना चाहिये।

(ड़) पूर्ण कियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला तथा

(च) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा स्टॉफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।

(6) किसी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर विनियम 10 के अन्तर्गत उल्लिखित वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी तथा यह कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व परिषद् में आवेदन करे। अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने की यह प्रकिया प्रथम बैच के समापन हेतु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।

11. **उपकरण, यन्त्र–समूह इत्यादि की सूची**– छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कॉलेज जैसा कि अनुसूची–VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शवच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यंत्र–समूह इत्यादि का न्यूनतम नब्बे प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।

694 GI/13-3

अनुसूची–I

(विनियम 4, विनियम 5 का उप विनियम (1), विनियम 6, विनियम 7 का उप विनियम (4) एवं (7) देखें)

यूनानी महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की अपेक्षाएं

क्रम संख्या	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	**चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र**	2,000	3500
II.	**चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड**	100	150
1.	अधीक्षक कक्ष		
2.	उप अधीक्षक कक्ष		
3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य अधिकारी हेतु)		
4.	मैट्रन कक्ष		
5.	सहायक मैट्रन कक्ष (दो के लिए)		
6.	स्वागत पटल तथा पंजीयन		
III.	**बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)**	300	500
1.	मुआलेजात बाह्य रोगी विभाग वॉशबेसिन सहित		
2.	जराहत (ऐन, उज़्न, अनफ व हलक व असनान सहित) बाह्य रोगी विभाग वॉशबेसिन तथा परीक्षा कक्ष सहित		
3.	काबालत व आमराज़े निस्वां बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष तथा परीक्षण कक्ष सहित		
4.	अमराज़े अतफाल बाह्य रोगी विभाग वॉशबेसिन सहित		
5.	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत बाह्य रोगी विभाग वॉशबेसिन सहित		
6.	स्वस्थवृत्त एवं योग बाह्य रोगी विभाग तहाफूजी व सामाजी तिब्ब वॉशबेसिन सहित		
7.	मरहम पट्टी एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष		
8.	औषधालय		
9.	रोगियों के लिए प्रतीक्षा स्थल		
10.	भण्डार		
11.	रोगियों के लिये पुरूष एवं महिला प्रसाधन कक्ष		
IV	**अन्तरंग रोगी विभाग (आई.पी.डी.)**	900	1650
1.	मुआलेजात व इलाज बिद तदबीर पुरूष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
2.	मुआलेजात व इलाज बिद तदबीर महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
3.	जराहत (ऐन, उज़्न, अनफ व हलक व असनान सहित) पुरूष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
4.	जराहत (ऐन, उज़्न, अनफ व हलक व असनान सहित) महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
5.	निस्वां व काबालत रोग वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		

6.	अमराज़–ए–अत्फाल वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
7.	प्रत्येक विभाग के लिये एक चिकित्सक ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
8.	प्रत्येक वार्ड में एक परिचर्या स्टॉफ ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
9.	लीनन इत्यादि के लिये भण्डार गृह		
V.	**(जराहत) कक्ष खण्ड**	**150**	**250**
1.	मुख्य शल्यकर्म कक्ष		
2	लघु शल्यकर्म कक्ष		
3.	प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित प्रसूति कक्ष		
4.	नवजात शिशु अनुरक्षण कक्ष		
5.	केन्द्रीय जीवाणुनाशन/आटोक्लेव यूनिट		
6.	स्कब कक्ष		
7.	दो पुनःश्चेतना कक्ष		
8.	चिकित्सक ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानागृह सहित		
9.	प्रशिक्षु/गृह अधिकारी/ आवासीय चिकित्सकों का कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष तथा स्नानागृह सहित		
10.	परिचर्या स्टाफ कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष तथा स्नानगृह सहित		
VI	**इलाज बिद तदबीर खण्ड**	**275**	**500**
1.	हमाम		
2.	दलक		
3.	रियाज़त		
4.	फ़सद		
5.	कई		
6.	अल्क, हजामत इत्यादि		
7.	इलाज बिद तदबीर चिकित्सक/चिकित्सकों का कक्ष		
8.	इलाज बिद तदबीर भण्डार कक्ष		
9.	फिजियोथैरेपी कक्ष		
VII	**केन्द्रीय प्रयोगशालाः** विकृति विज्ञान, जैव रसायन तथा सूक्ष्म जीव–विज्ञान हेतु पृथक विभागों सहित सुसज्जित तथा विस्तृत क्षेत्र तथा मूत्र नमूने एकत्र करने हेतु यहां संलग्न प्रसाधन कक्ष होंगे तथा ई.सी.जी. इत्यादि के लिये अन्य नवीनतम नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जायेंगे।	**100**	**150**
VIII	**विकिरण–चिकित्सा–विज्ञान अथवा सोनोग्राफी अनुभागः–** विकिरणविज्ञानी कक्ष, एक्स–रे कक्ष सहित, डार्क रूम, फिल्म ड्राई कक्ष, भण्डार कक्ष, अल्ट् सोनोग्राफी कक्ष रोगी प्रतीक्षा एवं मरहमपट्टी/ड्रेसिंग कक्ष, स्वागत–पटल अथवा पंजीयन अथवा रिपोर्ट कक्ष।	**50**	**100**
IX	**चिकित्सालय का रसोईघर तथा कैन्टीनः**	**100**	**150**
X	**भण्डार/गृह**	**25**	**50**
	कुल	**2,000**	**3,500**

टिप्पणी:

1. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र 20% में भिन्न हो सकता है परन्तु संलग्न चिकित्सालय का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
2. इक्सठ से सौ छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के एक यूनानी कॉलेज के संलग्न अस्पताल की निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता का विघटन विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बढ़ाया जायेगा।
3. प्रत्येक बाह्य रोगी विभाग के संलग्न प्रसाधन कक्ष की आवश्यकता उन कॉलेजों हेतु लागू होगी जो इस अधिसूचना की तिथि के बाद स्थापित होंगे।

अनुसूची–II

(देखें विनियम 4, विनियम 5 का उप–विनियम (1), विनियम 6 एवं विनियम 7 का उप–विनियम (7),

यूनानी कॉलेज की आवश्यकताएं

कम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों की क्षमता तक	61 से 100 छात्रों की क्षमता तक
(1)	(2)	(3)	(4)
	कॉलेज की इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र	2000	4000
1.	प्रशासनिक अनुभागः– कॉलेज के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत पटल, आगन्तुक विश्राम कक्ष, स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, नगदी एवं लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार और पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन कक्ष।	150	300
2.	**व्याख्यान हालः** साठ सीटों की क्षमता के लिए न्यूनतम पॉच व्याख्यान हाल प्रत्येक अस्सी वर्ग मीटर क्षेत्र से कम एवं इकसठ से सौ सीटों की क्षमता के लिए 160 वर्ग मीटर क्षेत्र के होंगे, जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य–दृष्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानतः थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।	400	800
3.	**विचार गोष्ठी अथवा सम्मेलन अथवा परीक्षा हॉलः** बैठकों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, परीक्षा, मंत्रणा इत्यादि के लिए कॉलेज के परिसर में एक वृहत हॉल उपलब्ध होगा जिसमें चार सौ से पांच सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली तथा बैठने का प्रबन्ध तथा श्रव्य–दृश्य पद्धति की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।	150	300

4.	**केन्द्रीय पुस्तकालयः** केन्द्रीय पुस्तकालय में साठ की प्रवेश क्षमता तक कम से कम पचास व्यक्तियों तथा इकसठ से सौ की प्रवेश क्षमता तक अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता, शैल्फ अथवा अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकालयाध्यक्ष का कक्ष, प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम कम्प्यूटर होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेय जल का प्रबन्ध तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में यूनानी, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी। छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बैंचों के प्रवेश से पूर्व पुस्तकों की संख्या पांच हजार तक तथा छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश के पूर्व सात हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेंगी। पांच वर्ष या अधिक के लिए विद्यमान महाविद्यालय दस हजार पुस्तकें रखेगा।	**100**	**200**
5.	**शिक्षण विभागः** चौदह शिक्षण विभाग होंगें जिनमें से प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए कक्ष, एक छोटा विभागीय पुस्तकालय, एक छोटा कार्यालय, गैर शिक्षण स्टॉफ हेतु कार्य स्थान तथा विशिष्ट विभाग की आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष ।	**कुल 1200 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगाः**	**कुल 2400 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगाः**
	(i) विभाग के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगीः– कुल्लियात विभाग तथा इसके अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय व शिक्षकीय कक्ष	**50**	**100**
	(ii) तशरीहुलबदन विभाग और एक हवादार शवच्छेदन हॉल (एग्जॉस्ट फेन्स तथा विशेषकर एयर कन्डीशन्स द्वारा हवादार), पर्याप्त लॉकरों तथा वाशबेसिन सहित छात्रों के लिए एक कक्ष, चार शव हेतु एक भण्डारण टैंक अथवा प्रशीतत (फ्रीजर) सहित एक शव का संलेपन करने हेतु कक्ष तथा वैकल्पिक माइक्रो ऐनॉटमी प्रयोगशाला सहित तशरीहुलबदन संग्रहालय	**125**	**250**
	(iii) मुनाफ–ए–उल–आज़ा विभाग तथा इसके अतिरिक्त जैव रसायन परीक्षण हेतु वैकल्पिक सुविधा सहित मुनाफ–ए–उल–आज़ा (फीजियोलॉजी) प्रयोगशाला	**75**	**150**

694 GI/13-4

	(iv) इल्मुल अदविया विभाग तथा इसके अतिरिक्त वनस्पति व अदविया संग्रहालय तथा फार्माकोग्नोसी तथा फार्माक्लॉजी प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण प्रयोगशाला	100	200
	(v) सैदला विभाग के साथ शिक्षण औषधशाला	75	150
	(vi) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब्ब विभाग संग्रहालय सहित	75	150
	(vii) महियातुल आमराज़ विभाग तथा इसके अतिरिक्त विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी) प्रयोगशाला सहित	50	100
	(viii) मुआलाजात विभाग	75	150
	(ix) इलाज बिद तदबीर विभाग	50	100
	(x) जराहत विभाग तथा संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष	75	150
	(xi) अमराज़े ऐन, उज़्न, अन्फ़ व हलक विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष	75	150
	(xii) निस्वां व कबालत विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष	75	150
	(xiii) अमराज़े अतफाल विभाग तथा संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष	50	100
	(xiv) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत विभाग तथा शिक्षकीय कक्ष *टिप्पणी– सभी प्रयोगशालाओं की कार्य करने की मेजें कठोर पत्थर अथवा स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिये तथा शेल्फ तथा वाशबेसिन में ताजे पानी के नल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।*	50	100
6.	**शिक्षण औषधशाला तथा औषधि गुणवत्ता–परीक्षण प्रयोगशाला:** कॉलेज में विभिन्न प्रकार की यूनानी की औषधियां तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला, एक कच्ची–औषधियों का भण्डारगृह तथा आंतरिक औषधि तदरूपीकरण एकीकरण होगा।	100	200
7.	**सामान्य कक्ष:** बैठने के पर्याप्त प्रबन्ध सहित बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कक्ष उपलब्ध होगें।	50	100
8.	**कैन्टीन:** कॉलेज परिसर में लगभग सौ व्यक्तियों के बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी।	50	100
	कुल	2000	4000

टिप्पणी:

उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र 20% न्यूनाधिक भिन्न हो सकता है परन्तु एक यूनानी कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।

अनुसूची–III

(विनियम 5 का उप–विनियम (2) एवं विनियम 6 देखें,)

एक यूनानी कॉलेज की समवर्गी आधारभूत संरचना की आवश्यकताएं

कम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वनौषधि उद्यानः एक सौ प्रजातियों के वनौषधि पौधों सहित भलीभाँति विकसित एक औषधीय पौधों का बगीचा कॉलेज में विद्यमान होगा।	2500	4000

टिप्पणी:

1. उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र 20% में भिन्न हो सकता है, परन्तु एक यूनानी महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम चार पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।

अनुसूची–IV

(विनियम 7 का उप–विनियम (7) तथा विनियम 7 का उप–विनियम (8) देखें,)

यूनानी कॉलेज चिकित्सालय के स्टॉफ की आवश्यकताएं

कम संख्या	पद	आवश्यकता
(1)	(2)	(3)
1.	चिकित्सालय अधीक्षक	1. चिकित्सा अधीक्षक का पद प्रोफेसर पद की अर्हता से कम नहीं होगा। अथवा 2. प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता चिकित्सा अधीक्षक के रूप में पदेन कार्य कर सकेंगे। तथापि चिकित्सा अधीक्षक का पद पहले से ही अस्तित्व में है तो यह जारी रहेगा।
2.	उप चिकित्सा अधीक्षक	1. मान्यता प्राप्त यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. शिक्षण स्टॉफ के अतिरिक्त नैदानिक विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि सहित पूर्ण कालिक नियमित पदधारी। टिप्पणीः–(1) स्नातकोत्तर उपाधि की अनिवार्यता की शर्त इस अधिसूचना के बाद स्थापित होने वाले कॉलेजों पर होगी। (2) क्लीनिकल अनुभव प्राप्त सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (बिना स्नात्कोत्तर उपाधि के) को भी उप–चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु योग्य माना जाएगा।

3.	परामर्शदाता	नैदानिक विभाग के शिक्षक
4.	आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ या आर.एस.ओ या एम.ओ.	**05 (01 मुआलेजात, 02 निस्वां व कबालत, 01 जराहत में तथा 01 अमराज–ए–अतफाल में)**
5.	मैट्रन या परिचर्या अधीक्षक	01
6.	अंतः रोगी विभाग हेतु स्टॉफ परिचारिकाएं	प्रति 20 शय्याओं के लिए 1
7.	वार्ड अनुकर्मी अथवा आया	प्रति 10 शय्याओं के लिए 1
8.	भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	02
9.	ड्रेसर	02
10.	भण्डारपाल (स्टोर कीपर)	01
11.	कार्यालय स्टॉफ (पंजीयन, अभिलेख अनुरक्षण, डाटा एन्ट्री इत्यादि)	02
12.	डार्क रूम परिचर	01
13.	शल्य कक्ष परिचर	01
आधुनिक चिकित्सा स्टॉफ		
14.	चिकित्सा विशेषज्ञ	01 अंशकालिक / संविदा पर
15.	शल्य विशेषज्ञ	01 अंशकालिक / संविदा पर
16.	प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
17.	विकृतिविज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
18.	संज्ञाहरण विज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
19.	नेत्र विज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
20.	बाल (रोग) चिकित्सक	01 अंशकालिक / संविदा पर
21.	विकिरणविज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
22.	दंत चिकित्सक	01 अंशकालिक / संविदा पर
23.	फिज़ियोथैरेपिस्ट	01 अंशकालिक / संविदा पर
24.	एक्स–रे तकनीशियन अथवा विकिरण चित्रक	01
इलाज बिद तदबीर चिकित्सा विज्ञान अनुभाग के बाह्य रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग हेतु स्टॉफ		
25.	इलाज बिद तदबीर विशेषज्ञ	इलाज बिद तदबीर शिक्षण विभाग के शिक्षक
26.	गृह अधिकारी अथवा नैदानिक रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक (यूनानी)	01
27.	इलाज बिद तदबीर परिचारिका	01 (क्रम संख्या 6 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त)
28.	इलाज बिद तदबीर सहायक	01 पुरूष तथा 01 महिला
29.	मालिशकर्ता	01 पुरूष तथा 01 महिला
जराहत (शल्यकर्म) कक्ष का स्टॉफ		
30.	जराहत एवं क्षारसूत्र चिकित्सा–विज्ञान विशेषज्ञ	जराहत विभाग के शिक्षक

31.	शल्यकर्म कक्ष परिचर	01
32.	ड्रेसर	01
33.	परिचारिकाएं	01, ये परिचारिकाएं क्रम संख्या 6 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त होंगी।
प्रसव कक्ष		
34.	कबालत व अमराज़े निस्वां विशेषज्ञ	कबालत व अमराज़े निस्वां विभाग के शिक्षक
35.	मिडवाइफ	01
नैदानिक प्रयोगशाला		
36.	प्रयोगशाला तकनीषियन	02
37.	चपरासी अथवा परिचर	02
शिक्षण औषधशाला तथा गुणवत्ता–परीक्षण प्रयोगशाला		
38.	औषधशाला प्रभारी (इल्मुल अदविया/सैदला के शिक्षक)	01
39.	चपरासी अथवा परिचर	01
40.	कामगार	02
41.	विश्लेषण रसायनज्ञ (अंशकालिक)	01 (विभाग में गैर शिक्षण स्टॉफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
42.	भेषज अभिज्ञानी (अंशकालिक)	01 (विभाग में गैर शिक्षण स्टॉफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)

टिप्पणी:

1. साठ से अधिक शय्याओं वाले चिकित्सालय हेतु आवासीय चिकित्सा अधिकारी, आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में प्रत्येक के लिए दो पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा कैन्टीन, धुलाई–घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेंकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।

3. अनिवार्य ड्यूटी स्टॉफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।

4. गैर तकनीकि स्टॉफ जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, सुरक्षा कर्मचारी, धोबी, माली तथा रसोईया इत्यादि की सेवाएं बहि:स्त्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

अनुसूची–V

[विनियम 3 का उप–विनियम (3), विनियम 6, विनियम 7 का उप–विनियम (7) तथा विनियम 8 का उपविनियम (1) देखें]

यूनानी कॉलेज शिक्षण स्टॉफ का विवरण

क्रं. सं. (1)	शिक्षण विभाग (2)	शिक्षण स्टॉफ की आवश्यकता					
		60 छात्रों तक (3)			61 से 100 छात्रों तक (4)		
		प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
(1)	कुल्लियात	1 अथवा 1		1	1	1	1
(2)	तशरीहुल बदन	1 अथवा 1		1	1	1	1
(3)	मुनाफुल आज़ा	1 अथवा 1		1	1	1	1
(4)	इल्मुल अदविया	1 अथवा 1		1	1	1	1
(5)	इल्मुल सैदला	1 अथवा 1		1	1	1	1
(6)	माहियातुल अमराज़	1 अथवा 1		1	1	1	1
(7)	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब्ब	1 अथवा 1		2	1	1	2
(8)	मुआलाजात	1 अथवा 1		2	1	1	2
(9)	निस्वां व कबालत	1 अथवा 1		1	1	1	2
(10)	इल्मुल अतफाल	1 अथवा 1		1	1	1	1
(11)	जराहत	1 अथवा 1		1	1	1	1
(12)	ऐन–उज़्न–अन्फ़–हलक़ व असनान	1 अथवा 1		1	1	1	1
(13)	अमराजें जिल्द व तज़ीनियत	1 अथवा 1		1	1	1	1
(14)	इलाज बिद तदबीर	1 अथवा 1		1	1	1	1
		14		16	14	14	17
कुल		30			45		

टिप्पणी:

1. उक्त के अतिरिक्त एक अरबी शिक्षक (अरबी भाषा एवं मन्तिक़–ओ–फलसफा पढ़ाने के लिए), एक शिक्षक संचार कौशल प्रदान के लिए एवं अनुसूची –IV (क्रम संख्या 14 से 22) पर यथा विनिर्दिष्ट आधुनिक चिकित्सा के आठ परामर्शदाता शिक्षण हेतु अंशकालिक आधार पर विनियोजित किये जायेंगे। प्री–तिब्ब के लिए साइंस व अंग्रजी पढ़ाने हेतु शिक्षक अशंकालिक आधार पर विनियोजित किए जाऐंगे।

2. साठ छात्रों की प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की कमी प्रत्येक सात विभाग (2013–14)/चौदह विभाग (2014–15) में न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आवश्यकता का 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। कुल उच्च संकाय प्राध्यापक/प्रवाचक 12 से कम न हों जो प्रत्येक सात विभाग (2013–14)/ग्यारह विभाग (2014–15) में उपलब्ध हों। यह छूट केवल 2013–14 एवं 2014–15 सत्र में सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु प्राप्त होगी एवं उसके बाद छूट का यह प्रावधान प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए 60 छात्रों कि अनुमति के लिए न्यूनतम सत्ताइस शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है जिनमें न्यूनतम बारह प्राध्यापक/प्रवाचक सात विभाग (2013–14)/ग्यारह विभाग (2014–15) में उपलब्ध हों।

3. इकसठ से सौ छात्रों की प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की कमी कुल आवश्यकता का 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी एवं कुल उच्च संकाय (प्राध्यापक/प्रवाचक) की कमी कुल आवश्यकता का 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। न्यूनतम एक उच्च संकाय एवं एक प्रवक्ता प्रत्येक सात विभाग (2013–14)/चौदह विभाग (2014–15) में उपलब्ध हों। कुल उच्च संकाय उन्नीस से कम न हों। यह छूट केवल 2013–14 एवं 2014–15 सत्र में सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु प्राप्त होगी एवं उसके बाद छूट का यह प्रावधान प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए इकसठ से सौ छात्रों कि अनुमति के लिए न्यूनतम चालीस शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है जिनमें कम से कम बारह प्राध्यापक/प्रवाचक सात विभाग (2013–14)/उन्नीस विभाग (2014–15) में उपलब्ध हों।

4. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2012 के विनियम 12 के अन्तर्गत समवर्गी विषयों में स्नातकोत्तर अर्हता का प्रावधान पांच वर्षो की अवधि हेतु उच्च संकाय (प्राध्यापक तथा प्रवाचक) के पद हेतु भी लागू होगा।

अनुसूची–VI

[विनियम 6 तथा विनियम 8 का उपविनियम (3) देखें]

यूनानी कॉलेज के तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ का विवरण

क्रं. सं. (1)	विभाग (2)	पद (3)	आवश्यकता (4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1
		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	1
2.	कॉलेज कार्यालय	प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय स्टॉफ	4
3.	कुल्लियात	परिचर	1
4.	तशरीहुल बदन	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहालयपाल	1
5.	मुनाफुलआज़ा	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहालयपाल	1
6.	इलमुल अदविया	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहालयपाल	1
7.	सैदला	दवासाज़/औषधशाला सहायक	1
8.	महियातुल आमराज़	प्रयोगशाला तकनीशियन	2
9.	निस्वां वो कबालत	परिचर	2
10.	इल्मुल काबालत		
11.	तहफ्फुजी व समाजी तिब्ब		
12.	मुआलाजात		
13	जराहत		
14.	ऐन–उज़्न–अन्फ व हलक		
15.	इलाज बिद तदबीर		
16.	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत		
16.	हरबल गार्डन	माली	1
		बहु–उद्देशीय कार्यकर्ता	2

टिप्पणी– सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ), बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकते है

अनुसूची–VII

[विनियम 3 का उप–नियम (3), विनियम 6, विनियम 7 का उप विनियम (7), विनियम 10 का उप–विनियम 3 (झ) तथा विनियम 11 (देंखें)]

(क) तशरीहुल बदन (शव विच्छेदन) गृह हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण–

क.सं.	उपकरण का नाम
1.	विभिन्न प्रकार व आकार के अस्थि कर्तन
2.	विभिन्न प्रकार की चिमटियां
3.	चिसेलस
4.	शवच्छेदन कैंची भिन्न प्रकार एवं आकार की
5.	टैगिंग
6.	भिन्न प्रकार के चाकू
7.	भिन्न प्रकार की सीवनी
8.	शवच्छेदन मेज (पूर्ण आकार)
9.	शवच्छेदन मेज (अर्ध आकार)
10.	प्रयोगशाला ट्रे
11.	ढक्कन सहित कांच के जार (नमूने हेतु)
12.	लेपन मशीन
13.	रोकिंग पंप/फुट स्प्रेयर
14.	जीवाणुनाशक यंत्र
15.	बाल्टियां
16.	फार्मेल्डीहाइड घोल
17.	कार्बोलिक एसिड
18.	सोडियम एसिटेट
19.	पोटेशियम एसिटेट
20.	जीवाणुनाशक घोल
21.	ग्लिसरीन
22.	डमी कैडेवर एवं शरीरिक अंगों के नमूने
23.	संपूर्ण शरीर का अस्थिकंकाल अस्थियां, छेदित/संरक्षित शरीर के अंग इत्यादि

(ख) मुनाफुल आज़ा प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
1.	माइक्रोस्कोप विद ऑयल इमर्शन
2.	ई.एस.आर. हेतु वैस्टरग्रेन पीपेट
3.	हीमाटोक्रीट ट्यूब
4.	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर
5.	हीमोसाइटोमीटर
6.	स्फिग्मोमैनोमीटर
7.	स्टेथेस्कोप
8.	क्लीनिकल थर्मामीटर
9.	नी–हैमर
10.	ट्यूनिंग फोर्क्स
11.	इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफ

694 GI/13-6

12.	स्टॉप वॉचेस
13.	वाटर डिस्टीलेशन (स्टिल)
14.	थर्मामीटर, बैलेन्स, माइक्रोस्लाइड्स
15.	कवर स्लिप, ग्लासवेयर
16.	सेन्ट्रीफ्यूज मशीन गति नियंत्रक सहित
17.	कलरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक)
18.	पी.एच. मीटर (इलेक्ट्रिक)
19.	पी.एच. कम्पैरेटर डिस्क सहित
20.	रेफ्रीजरेटर
21.	न्यूटन्स कलर व्हील इन ए बैच
22.	स्पाइरोमीटर
23.	टोनोमीटर
24.	हाइड्रोमीटर
25.	विस्कोमीटर
26.	ओस्मोमीटर
27.	स्टेलैग्मोंमीटर
28.	स्टेरेलाइजर

(ग) सैदला प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विविरण

क.सं.	**अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र**
1.	**पेस्टिल एवं मोर्टार**
(क)	स्माल
(ख)	मीडियम
(ग)	पोर्सेलेन
(घ)	ऑयरन
2.	हीटिंग डिवाइज
(क)	गैस स्टोव
(ख)	इलैक्ट्रिक स्टोव
(ग)	हॉट प्लेट
(घ)	चूल्हा (चारकोल)
3.	वेसल
(क)	फ्राइंग पेन
(ख)	स्टील वेसल
(ग)	स्पैटुला
(घ)	लिडलस एण्ड स्पून्स
(ड़)	नाइफ
(च)	प्लेटस
(छ)	समदश यंत्र (टोंग्स)
4.	विभिन्न आकार के मापक उपकरण (ग्लास)
5.	बिग वेसल्स एण्ड कन्टेनर
(क)	ब्रास
(ख)	कॉपर
(ग)	स्टील इत्यादि

6.	विभिन्न धारिताओं की बेलेन्स
(क)	फिजिकल
(ख)	केमिकल
7.	पोउन्डिंग एप्रेटस (उलुरवाला यंत्र)
8.	सीव्स (एसोर्टेड संख्या एवं आकार)
9.	वेट ग्राईन्डर
10.	मिक्सी
11.	जूस एक्सट्रेक्टर
12.	पुटस (विभिन्न प्रकार)
13.	पाइरोमीटर
14.	थर्मामीटर
15.	प्रेशर कुकर
16.	भूशा (कुसिबल्स)
17.	रेफ्रीजरेटर
18.	जार (पोरसेलैन) फरमनटेशन पर्पस
19.	डिस्टीलेशन एप्रेटस, करा अम्बिक, नल भपका इत्यादि परंपरिक पद्धतियों को सम्मिलित करते हुए
20.	इनेमल ट्रेज
21.	स्प्रीट लैम्प
22.	माइक्रोस्कोप
23.	अर्थेन वेसल पॉटस
24.	भण्डारण हेतु अलमारियां एवं रैक्स

(घ) फार्माकोग्नोसी प्रयोगशाला के लिए उपकरण और यन्त्रों का विवरण

कं.सं.	**आवश्यक उपकरण एवं यन्त्र**
1.	फील्ड मैग्निफायर
2.	कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप
3.	डिसैक्टिंग माइक्रोस्कोप
4.	माइक्रोस्कोप
5.	कवर सहित स्लाइड बॉक्स
6.	ब्लोटिंग/फिल्टर पेपर
7.	इलैक्ट्रोनिक्स बैलेन्स
8.	डिसेक्टिंग बॉक्स
9.	इनेमल ट्रे
10.	**रेयजेन्टस**
(क)	क्लोरोफार्म
(ख)	एल्कोहल
(ग)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड
(घ)	सल्फ्यूरिक एसिड
(ड़)	सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
(च)	बैन्डिक्ट सोलूशन
(छ)	सोडियम नाइट्रेट
(ज)	पोटेशियम नाइट्रेट

(झ)	साइट्रिक एसिड
(ञ)	आयोडिन
(ट)	इथाइल एल्कोहल
(ठ)	पोटेशियम आयोडाइड
(ड)	जायलोल/शुद्ध जायलीन(स्लाइड तैयार करने के लिए)

(ड़) माहियातुल अमराज़ प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्रं.सं.	**आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण**
1.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप
2.	एक्स रे व्यू बाक्स
3.	स्टरलाइज्ड डिस्पोसेबल लैन्सर/नीडिल
4.	साहिली का स्कवायर ट्यूब
5.	एच.बी. पिपेट
6.	ड्रॉपर
7.	ग्लास रोड
8.	डब्ल्यू.बी.सी. पिपेट
9.	इम्प्रूव्ड न्योबार चैम्बर
10.	कवर स्लिप
11.	रैड सेल पिपेट
12.	साफ स्लाइड
13.	इन्क्यूवेटर
14.	विन्ट्रोब की ट्यूब
15.	पैस्टयोर पिपेट
16.	सैन्ट्रिफ्यूज ग्रेजुएट मशीन
17.	वैस्टैरग्रेन पिपेट
18.	रबर शीट
19.	वैस्टरग्रेन स्टैण्ड
20.	लिटमस पेपर
21.	पीएच इन्डिकेटर पेपर स्ट्रिप्स
22.	यूरिनोमीटर
23.	मल्टी स्टिक्स
24.	बनसन बर्नर
25.	टेस्ट ट्यूब
26.	टेस्ट ट्यब होल्डर
27.	फिलटर पेपर
28.	स्टील अलमारी
29.	स्टील रैक
30.	विभिन्न आकार के ढक्कन सहित शीशे के जार
31.	ग्लास व्यू रैक
32.	मैग्नीफाइंग रैक
33.	आटोक्लेव
34.	वाटरबाथ
35.	विभिन्न प्रकार की पृथक करने हेतु फनल

36.	स्टाप वाच
37.	अल्ट्रावायलेट लैम्प
38.	ऑयल इमरसन लैंस 20 (ई) के साथ मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप
39.	कैपिलरी ट्यूब
40.	हॉट एयर ओवन
41.	आइल इमरसन सहित माइक्रोस्कोप के साथ
42.	रेफ्रिजरेटर
43.	स्टरलाइज्ड वैसिलस/ नमूने एकत्र करने हेतु बोतल
44.	बी.पी. अप्रेटस
45.	स्टेथस्कॉप
46.	थर्मामीटर
47.	टंग डिप्रैसर
48.	टार्च
49.	नी हेमर
50.	मैसरिंग टेप
51.	ई.एन.टी. परीक्षण सैट
52.	रिफलैक्टर (मिरर)
53.	वेइंग मषीन
54.	ट्यूनिंग फार्क
55.	नेशल स्पेकुलम
56.	लेरिजोस्कोप
57.	कैथेटरस
58.	प्रोब्स
59.	डिस्पोसेबिल ग्लवस
60.	फिजिकल बैलेन्स
61.	सिरिन्ज निडल डिस्ट्रोयर
62.	एचबीएस ए.जी. किट
63.	एचआईवी किट–ट्राईडोट (टी मित्रा की पद्धति)
64.	सीटी एण्ड बी.टी.किट
65.	सैल काउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)
66.	रीनल प्रोफाइल, एलएफटी किट, लाइपिड प्रोफाइल, ब्लड सुगर किट

(च) प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	**आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण**
1.	शैडोलेस लैम्प
2.	सक्सन मशीन (न्यूनेटल)
3.	ऑक्सीजन सिलिडंर एवं मास्क
4.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ
5.	रेडिएन्ट वार्मर
6.	फोटो थैरेपी इकाई
7.	भार मापक संयंत्र (बालरोग)
8.	रोगी ट्रॉली
9.	एनस्थीसिया ट्रॉली

694 GI/13-7

10.	इन्फेन्टोमीटर
11.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर
12.	फीटल डॉप्लर
13.	लॉ कैविटी फारसेप्स
14.	स्टरलाइजर
15.	मेचिनटोस रबर शीट
16.	कैटगट एवं थ्रैड
17.	स्पेकुलम – सिम्स – कसकोस
18.	प्रसव के लिए उपकरण एवं इपी सियोटोनी (सीजर, फोरसप्स, नीडल होल्डर इतयादि)
19.	बेबी ट्रे
20.	ड्रा शीट
21.	प्लास्टिक एप्रन
22.	एचआईवी किट आत्यापिक रोगियों के लिए
23.	सामान्य एवं छिद्र सहित तौलिए
24.	ग्लव्स
25.	निबूलाइजर
26.	फोटोस्कोप
27.	ऑटो क्लेव
28.	ड्रम्स
29.	उपकरण ट्रे
30.	ऑपरेशन टेबिलस सिर उठाने व सिर नीचे करने की सुविधा सहित
31.	डबल डोम सैडोलैस लैम्प
32.	पल्स ऑक्सीमीटर
33.	ऑक्सीजन सिलन्डर
34.	रिसक्सीसिटेशन किट
35.	बॉयलस एप्रेटस
36.	इलैक्ट्रो काटरी
37.	एमटीपी सक्सन मशीन
38.	एनस्थीसिया किट
39.	ब्लन्ट एण्ड शार्प क्यूरेटर
40.	डायलेटर सैट (हैंगरस एण्ड हॉकिन्स)
41.	एन्टीरियर वैजाइनल वाल रिट्रेकट
42.	यूटराइन साउन्ड
43.	वैलोस्लम
44.	एमटीपी सक्सन क्यूरेट
45.	नीडिलस
46.	नीडिल होल्डर
47.	स्पंज हाल्डिंग फोरसेप्स
48.	टॉवल क्लिपस
49.	एबडोमिनल रिट्रैक्टर (डायन अन्य)
50.	ग्रीन अर्मीटिज फारसेप्स

51.	यूटरस होल्डिंग फारसेप्स
52.	कोकस फॉरसेप्स
53.	आरट्री फॉरसेप्स (लोंग, शॉर्ट, मास्क्यूटो)
54.	विभिन्न आकार की कैंची
55.	आब्स्ट्रेटिक फारसेप्स
56.	टंग डिप्रेसर
57.	एन्डोट्रकियल ट्यूब
58.	बीपी एप्रैटस
59.	एचएसजी कैनल
60.	कार्ड काटने का उपकरण
61.	आईयूसीडी रिमूविंग हुक
62.	ब्लैडर साउन्ड

(छ) शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क.सं.	**अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र**
I	**जराहत**
1.	स्पोट लाइट (छत में फिटकी हुई शैडोलैस)
2.	नीडल होल्डिंग फारसैप्स (बड़ी छोटी मध्यम आकार)
3.	एप्रन
4.	स्पैसिमैन जार
5.	एसोर्टिड साइज के ड्रैसिंग ड्रम
6.	ड्रम स्टैण्ड
7.	आई.वी. स्टैण्ड
8.	एक्सरे व्यू बाक्स (Mcy)
9.	सर्जन्स गाउन
10.	मास्क एण्ड कैप
11.	गौज, काटन एवं पट्टियॉ
12.	विभिन्न साईज के ग्लवस
13.	चीटल्स फॉरसैप्स
14.	टॉवल क्लिप्स
15.	मास्क्यूटो फॉरसैप्स
16.	सीधी कैंची (टेलर)
17.	विभिन्न साईज की कर्वड सीजर
18.	स्टिज रिमुवल सीजर
19.	डिसैक्शन फॉरसैप्स
20.	साइनस फॉरसैप्स
21.	प्रोब्स एसोर्टिड साईज
22.	पॉइन्टड सीजर्स
23.	गैस्ट्रिक इंटस्टिनल क्लैम्प (आक्लूसिव कशिंग)
24.	एब्डामिनल रिटैक्टर्स
25.	टिशू फारसेप्स
26.	बैब कोक्स फारसेप्स
27.	कोचर्स फारसेप्स
28.	यूरिथ्रल डायलेटर

29.	रबर कैथेटर ऑफ असार्टेड साइज
30.	मैंटल कैथेटर
31.	कारूगेटड रबर ड्रेन
32.	सूचरिंग नीडिल (स्ट्रेट/कर्क)
33.	सर्जिकल थ्रेड
34.	स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स
35.	राइट ऐंगल कोलेसिस्टैक्टमी फॉरसैप्स
36.	स्टोन होल्डिंग फॉरसेप्स
37.	प्राक्टोस्कोप विद/विदआउट इल्यूमिनेटर
38.	बेगीज मेगार्स
39.	एलीस फॉरसेप्स स्मॉल
40.	एलीस फॉरसेप्स बिग
41.	पाइल होल्डिंग फॉरसेप्स
42.	आर्टरी फॉरसिप्स स्मॉल
43.	आर्टरी फॉरसिप्स बिग
44.	आर्टरी फॉरसिप्स मीडियम
45.	सिग्माइडोस्कोप रिजिड/फलैक्सिबल
46.	बैरन पाइल्स गन
47.	लैरिंगोस्कोप (पीडियाट्रिक/अडल्ट)
48.	बोइल्स अपैरेटस
49.	मल्टीपैरामीटर मानीटर
50.	अम्बू बैग
51.	सक्शन मशीन इलैकिट्रकल/मैनुअल
52.	जनरेटर
53.	एमर्जेंसी लाईट
54.	फायर एक्सटिंग्विशर
55.	स्किन ग्राफटिंग नाइफ विद हैण्डल
56.	सर्जिकिल ब्लेड्स ऑफ डिफरैन्ट साइज
57.	बी.पी.हैण्डल ऑफ डिफरैन्ट साइज
58.	वर्टिकल बी.पी. इन्सट्रूमेन्ट
59.	सैल्फ रिटेनिंग रिट्रेक्टर
60.	बोन ड्रिल मशीन
61.	बोन कटर
62.	गिग्ली सा
63.	स्कूप
64.	पैरीआस्टियम एलीवेटर
65.	मैग्लर फॉरसैप्स
66.	ई.टी.ट्यूब्स ऑफ डिफरेन्ट साइज
67.	हाई प्रैशर आटोक्लेव
68.	फ्यूमिगेटर
69.	रैफरीजिरेटर

70.	नाइट्रस आक्साइड सिलिंडर
71.	एग्ज़ास्ट फैन
72.	एक्स–रे व्यू बॉक्स
73.	आटोलेनिन वाशिंग मशीन
74.	हाइड्रोलिक ऑपरेद्वान टेबल
75.	शैडोलैस लैम्प सीलिंग
76.	एनस्थीसिया ट्राली/बाएल्स अपैरेटस
77.	इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रॉली
78.	इन्डो ट्रेकियल ट्यूब
79.	अम्बू बैग
80.	प्राक्टोस्कोप विद या विदआउट इल्यूमिनेशन
81.	रिवाल्विंग स्टूल
82.	ग्रेब्रिल सिरिन्ज
83.	स्ट्रेचर ट्राली
84.	मास्किटो फॉर्सेप्स
85.	पाइल होल्डिंग फॉर्सेप्स
86.	नीडिल होल्डर
87.	बी.पी. एप्रेटस
88.	सक्शन मशीन
II	**ऐन (आई)** **नेत्रीय शल्यकर्म के लिए आवश्यक उपकरण/यन्त्र**
89.	कोएक्सियल इल्यूमिनेशन एण्ड फुट कंट्रोल के साथ आपरेटिंग माइक्रोस्कोप
90.	बइपोलार वैट फील्ड काट्री
91.	मिनी हैलोजन लाईट (टेबल माउंटिग)
92.	आपथैल्मिक ऑपरेशन टेबल हेड रेस्ट सहित
93.	स्टैरिलाइज़िग बाक्स/मैट्स सहित केस
94.	लैन्स इन्सर्शन फॉर्सेप्स
95.	किराटोम
96.	बराक्वयर वायर स्पैक्यूलम (युवा/वयस्क/बाल्यावस्था)
97.	डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर
98.	कैट पाव लैकिमल रिट्रेक्टर
99.	म्यूलर लैकिमल सैक रिट्रेक्टर
100.	डस्टूर आइरिस रिट्रेक्टर
101.	कास्ट्रो विजो कैलीपर
102.	मीयरहाफर चेलेजियन क्यूरेट
103.	सिंस्काई लैन्स मैनिपुलेटिंग हुक
104.	आई.ओ.एल. मैनिपुलेटर
105.	फारेन बाडी स्पड
106.	लैविस लैन्स लूप (वैक्टिस)
107.	सिस्टोटोम एण्ड स्पून
108.	म्यूल एविसरेशन स्पून
109.	वैल्स इन्यूक्लिएशन स्पून

110.	आइरिस रिपोसिटरी (डबल–एण्डिड)
111.	टुक्स कार्नियल नाइफ
112.	ग्रेफ स्ट्रेबिस्मस हुक
113.	जेमसन मसल हुक
114.	स्मिथ लैन्स एक्सप्रेसर
115.	विल्स काट्री विद कापर बाल पाइंट
116.	बराक्वयर ब्लेड ब्रेकर एण्ड होल्डर
117.	लैंग्स लैकिमल सैक डिसेक्टर
118.	कैली ग्लूकोमा पंच
119.	वैस्ट लैकिमल चिसल
120.	इलिवेटर (डबल इण्डिड)
121.	मैलेट
122.	नेसल स्पैकुलम (युवा/बाल्यवास्था हेतु)
123.	पिगटेल प्रोब विद सूचर होल
124.	वाइल्डर पंक्टम डाइलेटर
125.	बोमैन लैकिमल प्रोब्स
126.	टॉवेल क्लैम्प
127.	हार्टमैन मासक्यूटो फॉर्सेप्स
128.	कोलिब्रो फॉरसेप्स 1x2 टीथ
129.	टांइग प्लेट फार्म के साथ मैक फेर्सन कार्नियल फॉर्सेप्स
130.	केलमैन मैक फेर्सन एंग्ल्ड फॉर्सेप्स
131.	मैक फेर्सन टाइंग फॉर्सेप्स
132.	ड्रेसिंग फॉर्सेप्स, सिरेटड
133.	मूर फील्ड कंजक्टिवल फॉर्सेप्स
134.	फिक्सेशन फॉर्सेप्स
135.	बीर सीलिया (एपिलेशन) फॉर्सेप्स
136.	अरूगा कैप्सुलर फॉर्सेप्स
137.	स्नैलन एन्ट्रोपियान क्लैम्प
138.	चलैज़ियन क्लैम्प
139.	कैस्ट्रोविजो कार्नियल सिज़र
140.	आइरिस सिज़र
141.	वैस्टकॉट टेनोटामी सिज़र
142.	वन्नास स्ट्रेट सिज़र
143.	डी–वेकर आइरिस सिज़र
144.	स्ट्रेबिस्मस सिज़र
145.	इन्यूक्लिएशन सिज़र
146.	बराक्वयर नीडल होल्डर
147.	कास्ट्रोविजो माइक्रो नीडल होल्डर
148.	सिल्कॉक नीडल होल्डर सिड लाक सहित
149.	एयर इन्जेक्शन कैन्यूला
150.	हीलॉन एस्पिरेटिंग कैन्यूला
151.	ए.सी.वास कैन्यूला
152.	लैकिमल कैन्यूला

153.	हाइड्रोलाइसिस कैन्यूला
154.	जे–लूप कैन्यूला (राइट/लैफ्ट विद सिलिकान ट्यूबिंग)
155.	सिम्को डायरेक्ट आई/ए कैन्यूला विद सिलीकॉन ट्यूबिंग
156.	इरिगेटिंग एस्पाइरेटिंग हैण्डल
157.	लैंस डायलर
158.	सुपीरीयर रेक्टस फारसेप्स
159.	आई वास ग्लासेस
160.	स्विमिंग गागल्स
III	**ऐन–उज़–अन्फ वा हलक़ शल्यकर्म हेतु आवश्यक उपकरण/यन्त्र हेतु विवरण**
161.	ऑरल सिरिंज
162.	जॉबसन्स ऑरल प्रोब
163.	यूस्टेशियन कैथेटर
164.	मैस्टाइड रिट्रेक्टर
165.	मैस्टाइड गॉग
166.	मैलट
167.	मैस्टाइड सैल सीकर विद स्कूप
168.	नेजल फारेन बॉडी हुक
169.	नेजल पैकिंग फारसेप्स
170.	एंट्रल ट्रोकर कैन्यूला
171.	एंट्रल बर
172.	नेज़ल स्नेर
173.	फ्रीरस सेप्टल नाइफ
174.	बैलिंगर्स स्वीवेल नाइफ
175.	बेयोनेट शेप्ड गॉज
176.	वाल्समैन फारसेप्स
177.	लैरिन्जियल फारसेप्स
178.	बॉयल डेविस माउथ गॉग
179.	टंग प्लेट विद थ्राट सक्सन
180.	टांसिल होल्डिंग फारसेप्स
181.	टांसिलर सक्सन
182.	टांसिलर डिसेक्टर
183.	टांसिलर स्नेयर
184.	गिलोटिन
185.	एडिनायड क्यूरेट विद केज
186.	पेरीटांसिलर एब्सिस डेनिंग फारसेप्स
187.	फुलर्स ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब
188.	स्टेरिलाइजर बाक्स
189.	चीटल्स फारसेप्स
190.	अन्य प्रयोग होने वाला सामान गल्प्स, सिरिंज, बैन्डेजस सूचर्स आदि
191.	इ.एन.टी. आपरेटिंग माइक्रोस्कोप एण्ड लैंस

(ज) बहिरंग रोगी विभाग में आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क.सं.	बाह्य रोगी विभाग	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुसार अपेक्षित उपकरण, यंत्र एवं फर्नीचर इत्यादि
1.	मुआलाजात	एक्स–रे व्यू बाक्स
		बी.पी. एप्रेटर्स
		स्टेथोस्कोप
		परीक्षण टेबल
		थर्मामीटर
		टंग डिप्रेसर
		कॉटन बाल्स
		टार्च
		मेजरिंग टेप
		वज़न एवं लम्बाई मापक स्टैंड
		नी हेमर
		वॉशबेसिन
2.	जराहत	हाथ धोने की व्यवस्था
		ड्रेनेज फैसिलिटी
		माइनर ओ.टी.
		एनोरेक्टल परीक्षण हेतु उपकरण
		परीक्षण टेबल
		बी.पी. एप्रेटस
		थर्मामीटर
		सर्जिकल ब्लेड
		कॉटन बाल्स
		गॉज पीसेज़
		एक्स–रे व्यू बाक्स
		स्टेथोस्कोप
		चीटल फारसेप्स
		टार्च
3.	ऐन–उज़्न–अन्फ–हलक व असनान	ट्यूनिंग फोर्कस
		आपथैल्मोस्कोप/फंडोस्कोप
		आरो स्कोप
		परीक्षण टेबल
		एक्स–रे व्यू बाक्स
		बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
		थर्मामीटर
		इ.एन.टी. किट
		टार्च
		बुल्स लैम्प